राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

मुख्य भवन ब्लॉक–6

डॉ. एस. राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल परिसर, जे.एल.एन मार्ग, जयपुर

फोन –0141–2706069 rajssaquality@gmail.com

क्रमांक : रा.स्कूल.शि.प. / जय / गुणा.शिक्षा / कला किट / 2023–24 / 10324 दिनांक : 12/3/2024

दिशा निर्देश – कला किट 2023–24

नई शिक्षा नीति 2020 में प्रारम्भिक स्तर पर बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान की समझ पर बल दिया गया है। जिसमें प्राथमिक शिक्षा को एक मजबूत बुनियाद के रूप में स्वीकार किया गया है। इसमें इस बात की भी अनुशंषा की गई है कि बच्चों को खेल और गतिविधि आधारित सीखने के साथ भयमुक्त और सुरक्षित वातावरण प्रदान हो।

वार्षिक कार्ययोजना 2023–24 में फाउण्डेशन लिट्रेसी व न्यूमरेसी (निपुण भारत) अन्तर्गत बालक–बालिकाओं को गतिविधि आधारित गुणात्मक शिक्षा एवं सृजनात्मक कार्य को बढ़ावा देने हेतु कला किट के लिए राशि अनुमोदित की गई है। विद्यार्थियों का शिक्षण से जुड़ाव, प्रभावी अधिगम एवं अधिकाधिक अभ्यास के अवसर प्राप्त हो सके, इस हेतु कक्षा 1 से 5 में अध्ययनरत विद्यार्थियों के सीखने को सरल, सहज, रोचक, आनन्ददायी गतिविधि आधारित बनाने के लिए कला किट उपलब्ध कराई जा रही है।

उद्देश्य –

- कला के माध्यम से विद्यार्थियों में सीखने के प्रति रूचि उत्पन्न करना।
- विद्यार्थियों में क्रियात्मक व सृजनात्मक कौशलों का विकास करना।
- विद्यार्थियों में उत्पन्न हुए अधिगम अन्तराल को कम करना।
- स्वयं करके ज्ञान सृजन के अवसर उपलब्ध कराना।
- गतिविधि आधारित शिक्षण के लिये आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराना।

कला किट के उपयोग हेतु निर्देश –

1. शाला दर्पण पोर्टल अनुसार स्कूल शिक्षा विभाग, संस्कृत शिक्षा विभाग एवं माँबाड़ी केन्द्रों के नामांकन अनुसार कक्षा 1 से 5 में अध्ययनरत विद्यार्थियों की उपयोगिता के आधार पर

Signature valid

RajKaj Ref 6080073

Digitally signed by Avichal Chaturvedi
Designation : State Project Director
Date: 2024.03.12 18:15:04 IST
Reason: Approved

विद्यालय प्रबन्धन समिति/विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समिति (SMC/SDMC) के माध्यम से Spot purchase द्वारा कला किट में निम्नानुसार सामग्री क्रय की जाये—

क्र.सं.	सामग्री	विवरण
1.	स्क्रेप बुक/स्केच बुक (कम से कम 20—25 पेज)	कक्षानुसार प्रति विद्यार्थी —01
2	कलरिंग बुक (कम से कम 20 पेज)	कक्षानुसार प्रति विद्यार्थी —01
3	क्रेयोन्स (12 कलर)	प्रति विद्यार्थी एक सैट
4	पेन्सिल कलर (12 कलर)	प्रति विद्यार्थी एक सैट
5	पेन्सिल	प्रति विद्यार्थी —05
6	शॉर्पनर	प्रति विद्यार्थी —01
7	रबड़	प्रति विद्यार्थी —02
8	स्टेन्सिल	प्रति विद्यार्थी —01

उक्तानुसार क्रय की गई सामग्री विद्यालय के स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि कर उपयोग ली जाए।

2. कला किट अन्तर्गत क्रय की गई सामग्री का उपयोग विद्यार्थियों में रचनात्मकता को बढ़ावा देने हेतु किया जाना है। इस हेतु संबन्धित विषय अध्यापक गृहकार्य के समय ऐसी गतिविधियां प्रस्तावित करें जिससे विद्यार्थी कला किट सामग्री का उपयोग घर पर भी कर सकें।
3. शाला दर्पण पोर्टल के अनुसार जिलेवार नामांकन (माह मार्च 2024 के अनुसार) परिशिष्ट—1 पर संलग्न है।
4. कक्षा 1 से 5 में अध्ययन करने वाले बालक—बालिकाओं के नामांकन के आधार पर प्रति बालक—बालिका 100/— रूपये (अक्षरे सौ रूपये) स्वीकृत है।
5. कला किट हेतु विद्यार्थियों के लक्ष्य के अनुसार State Nodal Account (SNA) के माध्यम से राशि उपयोग की स्वीकृति प्रदान की जाएगी।
6. जिला समग्र शिक्षा कार्यालय को कला किट हेतु राशि की स्वीकृति प्राप्त होने पर अविलम्ब ब्लॉक के माध्यम से विद्यालयों को कला किट हेतु राशि के उपयोग की स्वीकृति जारी की जाए।
7. विद्यालय को कला किट राशि की स्वीकृति प्राप्त होते ही SMC/SDMC में प्रस्ताव लेकर निर्देशानुसार एवं नियमानुसार सामग्री क्रय की जानी है।

RajKaj Ref
6080073

Signature valid
Digitally signed by Avichal Chaturvedi
Designation : State Project Director
Date: 2024.03.12 18:15:04 IST
Reason: Approved

कला किट हेतु राशि की स्वीकृति अनुसार सामग्री क्रय एवं कक्षा कक्षीय गतिविधियों में उपयोग हेतु विभिन्न स्तर पर निम्नानुसार दायित्वों का निर्वहन किया जाना अपेक्षित है–

1. जिला स्तर पर किये जाने वाले कार्य/दायित्व

- राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् से राशि की स्वीकृति एवं दिशा निर्देश प्राप्त होने पर अविलम्ब ब्लॉक, विद्यालय के लिए कला किट हेतु राशि की स्वीकृति जारी की जाए।
- ब्लॉक एवं विद्यालयों तक दिशा निर्देशों की पहुँच सुनिश्चित करना।
- कला किट सामग्री के वितरण एवं मॉनिटरिंग हेतु जिला एवं समस्त ब्लॉक कार्यालयों पर प्रभारी की नियुक्ति करना।
- प्रत्येक विद्यार्थी तक कला किट सामग्री की पहुँच एवं उपयोग की सघन मॉनिटरिंग एवं समीक्षा करना।
- जिला स्तर पर ब्लॉक स्तर से प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र को समेकित करते हुए सूचना परिषद कार्यालय जयपुर को प्रेषित करना एवं प्रबंध पोर्टल पर इंद्राज करना।
- ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों द्वारा पीईईओ के साथ सतत् रूप से कला किट के उपयोग की समीक्षा बैठक आयोजित करना।
- ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों एवं पीईईओ/यूसीईईओ का कला किट सामग्री के निर्धारण, वितरण एवं उपयोग हेतु आमुखीकरण करना।
- कला किट सामग्री के विद्यालय स्तर पर क्रय करने, विद्यार्थियों को सामग्री वितरित करने एवं उनके द्वारा उपयोग की अद्यतन प्रगति से राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् जयपुर को अवगत कराना। (परिशिष्ट–1)

2. ब्लॉक स्तर पर किये जाने वाले कार्य/दायित्व :

- जिला कार्यालय से ब्लॉक कार्यालय को कला किट की राशि हेतु स्वीकृति प्राप्त होने की तिथि से अविलम्ब विद्यालयों द्वारा राशि का उपयोग सुनिश्चित कराना।
- प्रत्येक विद्यार्थी तक कला किट सामग्री का वितरण एवं उपयोग की सघन मॉनिटरिंग करना।
- प्रत्येक विद्यालय द्वारा कला किट सामग्री का निर्धारित समयावधि में क्रय कराना।
- पीईईओ/यूसीईईओ के साथ आमुखीकरण एवं समीक्षा बैठक आयोजित कर फीडबैक प्रदान करना।

RajKaj Ref
6080073

Signature valid
Digitally signed by Avichal Chaturvedi
Designation : State Project Director
Date: 2024.03.12 18:15:04 IST
Reason: Approved

3. पीईईओ/यूसीईईओ/संस्था प्रधान के कार्य/दायित्व :

- पीईईओ/यूसीईईओ/विद्यालय स्तर पर कक्षावार (संलग्न अनुलग्नक) नामांकन के अनुसार विद्यार्थियों हेतु एसएमसी/एसडीएमसी में प्रस्ताव लेकर कला किट हेतु सामग्री क्रय किया जाना।
- प्रत्येक विद्यार्थी तक कला किट सामग्री का वितरण करना।
- कक्षा कक्षीय गतिविधियों अन्तर्गत प्रस्तावित गृहकार्य में कला किट सामग्री का उपयोग सुनिश्चित करना एवं विषय अध्यापकों/विद्यार्थियों को प्रेरित करना।
- अभिभावकों से संवाद करते हुए फीडबैक प्राप्त करना।
- शिक्षकों के साथ कला किट से विद्यार्थियों द्वारा किए जा रहे कार्य की नियमित समीक्षा करना।
- पीईईओ/यूसीईईओ द्वारा क्षेत्राधीन विद्यालयों के अवलोकन/निरीक्षण के दौरान कला किट के उपयोग की समीक्षा व शिक्षकों को मार्गदर्शन व संबलन प्रदान करना।

4. शिक्षक/शिक्षिकाओं द्वारा किये जाने वाले कार्य :

- प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा सभी विषय में कला किट सामग्री का आवश्यकतानुसार उपयोग सुनिश्चित करना।
- कक्षा कक्षीय गतिविधियों/**"आओ घर में सीखे"** अन्तर्गत प्रस्तावित गृहकार्य में कला किट सामग्री के उपयोग सुनिश्चित करना एवं विद्यार्थियों को प्रेरित करना व सृजनात्मकता में सहयोग करना।
- विद्यार्थियों द्वारा किये गये सृजनात्मक कार्य को कक्षा कक्ष/प्रार्थना स्थल/बालसभा के मंच पर प्रदर्शित करना।
- विद्यार्थियों द्वारा किये जा रहे सृजनात्मक कार्य को पोर्ट फोलियो में संधारित करना।
- विषयाध्यापक द्वारा विषय में कला किट सामग्री का उपयोग करते हुए अधिगम को रुचिकर बनाना।
- अभिभावकों को कला किट के बारे में जानकारी देते हुए उपयोग हेतु प्रेरित करना।
- विद्यार्थियों द्वारा तैयार सामग्री को कैसे बहु विषय आधारित उपयोग किया जा सकता है, इस हेतु मार्गदर्शन व सहयोग प्रदान करना।

RajKaj Ref
6080073

Signature valid
Digitally signed by Avichal Chaturvedi
Designation : State Project Director
Date: 2024.03.12 18:15:04 IST
Reason: Approved

5. अभिभावकों से अपेक्षा :

- विद्यार्थियों को कला किट के उपयोग से सृजनात्मक कार्य करने हेतु प्रेरित करना।
- विद्यालय में शिक्षक/संस्था प्रधान के साथ निरन्तर समन्वय बनाए रखना।

<u>नोट–</u>

- **कला किट हेतु उपयोग की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र विद्यालय द्वारा (परिशिष्ठ–2) ब्लॉक कार्यालय को तथा ब्लॉक कार्यालय से समेकित कर जिला कार्यालय को तथा जिला कार्यालय से समेकित उपयोगिता प्रमाण पत्र राशि उपयोग करने के पश्चात आवश्यक रूप से परिषद् मुख्यालय को दिशा निर्देश संलग्न (परिशिष्ठ–1) में अनिवार्यतः प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।**
- **कला किट 2023–24 राशि का उपयोग कर 28 मार्च तक व्यय का इंद्राज प्रबंध पोर्टल पर किया जाना सुनिश्चित करें साथ ही 25 मार्च 2023 तक उपयोगिता प्रमाण पत्र गुणवत्ता प्रकोष्ठ, रास्कूलशिप, जयपुर को प्रेषित करें। प्रबंध पोर्टल पर एन्ट्री के साथ वेण्ड़र को भुगतान किया जाना सुनिश्चित करें।**
- **कला किट का वितरण स्कूल शिक्षा, संस्कृत शिक्षा एवं माँबाडी में वर्तमान सत्र में नामांकित कक्षा 1 से 5 के विद्यार्थियों को किया जाना है।**

<u>विशेष–</u>

- **जिस मद के लिए राशि स्वीकृत की गई है, व्यय उसी मद में ही किया जावे।**
- **व्यय राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।**
- **कार्यक्रम अन्तर्गत व्यय राशि को PMS पोर्टल पर तत्काल बुक कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।**
- **राशि का उपयोग योजना के दिशानिर्देश, शिक्षा मंत्रालय की गाईड लाईन एवं लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 एवं वित्तीय नियमों की पूर्ण पालना करते हुये विहित प्रक्रियानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जावे।**

संलग्न – उपरोक्तानुसार

(अविचल चतुर्वेदी)
राज्य परियोजना निदेशक एवं
आयुक्त

क्रमांक : रा.स्कूल.शि.प./जय/गुणा.शिक्षा/कला किट/2023–24/ 10324 **दिनांक :** 12/3/2024

प्रतिलिपि:– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
4. निजी सचिव, निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
5. निजी सहायक, अति.राज्य परियोजना निदेशक–प्रथम/द्वितीय, समग्र शिक्षा, जयपुर।
6. उपायुक्त–प्लान राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर
7. प्रोग्रामर, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् को पोर्टल पर अपलोड करने बाबत्।
8. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा, समस्त जिले।
9. अति. जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा, समस्त जिले।
10. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा, समस्त ब्लॉक।
11. पीईईओ/यूसीईईओ समस्त।
12. कार्यालय प्रति।

RajKaj Ref
6080073

Signature valid
Digitally signed by Avichal Chaturvedi
Designation : State Project Director
Date: 2024.03.12 18:15:04 IST
Reason: Approved

परिशिष्ट–01

कार्यालय जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा ....

<u>उपयोगिता प्रमाण पत्र</u>

क्र.सं.	जिले का कक्षा 1 से 5 का कुल नामांकन	जिले को स्वीकृत राशि @100	ब्लॉक का नाम	ब्लॉक को स्वीकृत राशि		ब्लॉक द्वारा विद्यालयों को स्वीकृत राशि	विद्यालय द्वारा उपयोग राशि	शेष राशि	शेष का कारण
				नामांकन	राशि				

परिशिष्ट–02

विद्यालय स्तर

विद्यालय का नाम.................................

क्र. सं.	विद्यालय का 1–5 का नामांकन	विद्यालय को स्वीकृत राशि	विद्यालय द्वारा उपयोग राशि	शेष राशि	शेष का कारण

RajKaj Ref 6080073

Signature valid

Digitally signed by Avichal Chaturvedi
Designation : State Project Director
Date: 2024.03.12 18:15:04 IST
Reason: Approved